

निष्क्रिय खाते/अदावित खाते (10 वर्ष व इससे अधिक) से संबंधित नीतिगत दिशा-निर्देश

डी.ई.ए.एफ. दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि किसी खाते में इसके पिछले परिचालन की तारीख से 10 वर्ष व इससे अधिक समय तक लेनदेन नहीं किया जाता है (ब्याज क्रेडिट और सेवा शुल्क डेबिट के अलावा) तो ऐसे खातों को निष्क्रिय खाता (10 वर्ष व इससे अधिक) /अदावित जमा के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

ग्राहक / उत्तरजीवी / कानूनी उत्तराधिकारी / अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, जैसा भी मामला हो, खाते को सक्रिय करके इसकी आदावित जमा राशि के लिए अपना दावा दर्ज कर सकते हैं।

दावा प्रक्रिया निम्न अनुसार है :-

स्वयं द्वारा दावा :- ग्राहक अनुरोध पत्र (दिए गए प्रारूप अनुबंध 2 में) के साथ बैंक की आधार शाखा में जा सकते हैं और पहचान, पते और नवीनतम फोटोग्राफ का वैध प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं। उसी शाखा के सत्यापन पर खाते को ऑपरेटिव श्रेणी में परिवर्तित किया जाएगा और खाते में लेनदेन की अनुमति दी जाएगी।

कानूनी उत्तराधिकारी / नामित व्यक्ति द्वारा दावा :- दावा प्रक्रिया के लिए, कानूनी उत्तराधिकारी/नामित व्यक्ति बैंक की आधार शाखा में जाकर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है और उसे बैंक की दावा निपटान प्रक्रिया का अनुपालन करना होगा।

गैर-व्यक्तियों द्वारा दावा :- गैर व्यक्तिगत खातों के दावे के लिए, ग्राहक को अपनी वैध पहचान और पते के प्रमाण के साथ कंपनी / फर्म/ संस्थान के लेटरहेड पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित दावा फॉर्म जमा करना होगा। ग्राहक को बैंक द्वारा किए गए अनुरोध के अनुरूप ऐसे अन्य दस्तावेज भी जमा करना आवश्यक हो सकता है।

(आदावित खाते को सक्रिय करने एवं भारतीय रिजर्व बैंक को अंतरित की गई राशि की वापसी हेतु ग्राहक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन का प्रारूप)

प्रति,

शाखा प्रबंधक,

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर,

शाखा

विषय :- मेरा आदावित जमा खाता क्र..... के संबंध में।

महोदय,

मेरा / हमारा आपकी शाखा में बचत / चालू खाता क्र..... है।

01. मैं / हम विगत 10 वर्षों से भी अधिक समय में निम्न कारणों से खाते का परिचालन नहीं कर सकें.
02. मेरे खाते का परिचालन न होने के कारण इसकी शेष राशि आरबीआई द्वारा जारी डिपोजिटर्स एजुकेशन फंड स्कीम 2014 के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत आरबीआई को अंतरित कर दी गई थी।
03. मैं/हम समझते हैं कि दावे का निपटारा उचित परिश्रम और दस्तावेजों के प्रमाणीकरण के बाद किया जाएगा और यह बैंक की प्रक्रिया और नीति के अधीन होगा। मैं हम बैंक को दावों की प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का वचन देते हैं और दावे का निपटान करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित करने के लिए सहमत हैं।
04. मैं/ हम अपने नीचे दिए गए के केवायसी दस्तावेजों (इसकी मूल प्रति बैंक के रिकार्ड की प्रति से सत्यापन हेतु) एवं हाल ही में लिए गए फोटोग्राफ संलग्न करते हुए यह अनुरोध करते हैं कि आरबीआई से मेरे शेष राशि का दावा करके इसे मेरे/हमारे खाते में जमा करें।
05. मैं/ हम अपनी शेष राशि की वापसी हो जाने पर तत्काल तथा भविष्य में भी नियमित रूप से लेनदेन करने का वचन देता हूं।

(हस्ताक्षर)

क्र.	खाताधारक का नाम एवं वर्तमान पता	विवरण सहित के.वाय.सी. दस्तावेज			
		क्र.	दस्तावेज का नाम	मोबाईल/दूरभाष क्र.	ई-मेल आई.डी.
1		1			
		2			
		3			
1		1			
		2			
		3			

संगलन :- 1. केवायसी दस्तावेज

भवदीय

2. स्वयं का फोटो (.....नग)

1.

हस्ताक्षर एवं नाम

2.

हस्ताक्षर एवं नाम

श्री/श्रीमती/सुश्री से दावा न किए गए जमा/निष्क्रिय खातों का दावा करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर तथा बैंक का सील